पत्रांक : 33/वि॰ (महँगाई भत्ता/महँगाई राहत)–54/2017.....1091/वि॰

झारखण्ड सरकार

वित्त विभाग

राँची/दिनांक : 15/05/2025

संकल्प

विषय : **राज्य सरकार के कर्मियों को दिनांक 01.01.2016 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान (सातवें केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक 01 जनवरी, 2025 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में।**

केन्द्र सरकार के द्वारा अपने कर्मियों को दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से सप्तम वेतन पुनरीक्षण का लाभ के अनुरूप राज्य कर्मियों को योजना–सह–वित्त विभागीय संकल्प संख्या 217/वि॰ दिनांक 18.01.2017 द्वारा सप्तम वेतन पुनरीक्षण अनुमान्य किया गया है। उक्त संकल्प की कंडिका–9 में केन्द्र सरकार के अनुरूप महँगाई भत्ता अनुमान्य किया गया है।

2. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (व्यय) के पत्र संख्या 1/1(1)/2025-E.II(B) दिनांक 02.04.2025 के द्वारा केन्द्रीय कर्मियों को पुनरीक्षित वेतनमान/वेतन संरचना (सातवॉ वेतनमान) में दिनांक 01.01.2025 के प्रभाव से महँगाई भत्ते की दर को 53% (तिरपन प्रतिशत) की विद्यमान दर से बढ़ाकर 55% (पचपन प्रतिशत) के रूप में स्वीकृत किया गया है।

3. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में केन्द्र के अनुरूप राज्य कर्मियों को वर्तमान पुनरीक्षित वेतनमान में दिनांक 01.01.2025 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में संशोधन हेतु सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा निम्न निर्णय लिया गया है :–

"राज्य के सेवीवर्ग, जिनके वेतनमान/वेतन संरचना का पुनरीक्षण (सप्तम वेतन पुनरीक्षण) वित्त विभाग के संकल्प संख्या 217/वि॰ दिनांक 18.01.2017 द्वारा दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से किया गया है, उन्हें दिनांक 01.01.2025 के प्रभाव से वेतन का 55% (पचपन प्रतिशत) महँगाई भत्ता स्वीकृत किया जाय"।

4. झारखंड सेवा संहिता के परिभाषित नियम–34(ए) के अनुसार मूल वेतन पर महँगाई भत्ता देय है, परन्तु विशेष वेतन/वैयक्तिक वेतन इत्यादि पर देय नहीं होगा।

5. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक 936/वि० दिनांक 24.04.2025 के क्रम में दिनांक 08.05.2025 की बैठक के मद सं० 05 में दी गई है।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखंड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्षों एवं महालेखाकार (लेखा एवं हक•), झारखंड, राँची को प्रेषित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

15/05/25

(प्रशांत कुमार)
सचिव,
वित्त विभाग, झारखंड, राँची।

Scanned with OKEN Scanner

ज्ञापांक : 33/वि॰ (महँगाई भत्ता/महँगाई राहत)–54/2017.....1091/वि॰ राँची, दिनांक 15/05/2025

प्रतिलिपि : माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय/महानिबंधक, झारखंड उच्च न्यायालय, राँची/महालेखाकार (लेखा एवं हक॰), झारखंड, राँची/मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी उप–कोषागार पदाधिकारी/जन सूचना कोषांग, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/वित्त (वै॰दा॰नि॰को॰) विभाग, झारखंड, राँची/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वित्त विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/महानिबंधक, झारखंड उच्च न्यायालय, राँची को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि महँगाई भत्ते की इस स्वीकृति के संबंध में माननीय मुख्य न्यायाधीश, झारखंड उच्च न्यायालय, राँची की सहमति प्राप्त करने के बाद ही अपने स्तर से आदेश निर्गत किया जाय/सहायक अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, राँची को e-गजट के रूप में राजपत्र असाधारण अंक में प्रकाशन करने तथा पी०एम०यू० कोषांग के श्री कृष्ण मुरारी तिवारी को विभागीय Website पर upload करने हेतु प्रेषित।

15/05/25

(प्रशांत कुमार)
सचिव,
वित्त विभाग, झारखंड, राँची।

Scanned with OKEN Scanner

पत्रांक : 33/वि॰ (महँगाई भत्ता/महँगाई राहत)–54/2017...1092/वि॰

झारखण्ड सरकार

वित्त विभाग

राँची/दिनांक :15/05/2025

संकल्प

विषय : **दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित/प्रभावी राज्य सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को 01 जनवरी, 2025 के प्रभाव से महँगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि के संबंध में।**

केन्द्र सरकार के द्वारा सप्तम वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप अपने पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से स्वीकृत पेंशन पुनरीक्षण के अनुरूप राज्य सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को योजना–सह–वित्त विभागीय संकल्प संख्या 218/वि॰ दिनांक 18.01.2017 द्वारा पेंशन पुनरीक्षण अनुमान्य किया गया है। उक्त संकल्प की कंडिका–9.1 में केन्द्र सरकार के अनुरूप महँगाई राहत अनुमान्य किया गया है।

2. भारत सरकार के लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के पत्र संख्या 42/02/2024-P & PW (D) दिनांक 11.04.2025 के द्वारा केन्द्र सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को पुनरीक्षित वेतनमान/वेतन संरचना (सातवॉ वेतनमान) में दिनांक 01.01.2025 के प्रभाव से महँगाई राहत की वर्त्तमान दर को 53% (तिरपन प्रतिशत) से बढ़ाकर 55% (पचपन प्रतिशत) करने का निर्णय लिया गया है।

3. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में केन्द्र सरकार के अनुरूप राज्य सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को वर्त्तमान में अनुमान्य महँगाई राहत की दर को सम्यक् विचारोपरान्त निम्नरूपेण संशोधित करने का निर्णय लिया गया है :–

"राज्य के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों, जिनके मूल पेंशन का पुनरीक्षण (सप्तम वेतन पुनरीक्षण) वित्त विभाग के संकल्प संख्या 218/वि॰ दिनांक 18.01.2017 द्वारा दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से किया गया है, उन्हें दिनांक 01.01.2025 के प्रभाव से मूल पेंशन का 55% (पचपन प्रतिशत) महँगाई राहत स्वीकृत किया जाय"।

4. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक 937/वि० दिनांक 24.04.2025 के क्रम में दिनांक 08.05.2025 की बैठक के मद सं० 06 में दी गई है।

आदेश : **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखंड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ सभी कोषागार/उप–कोषागार एवं महालेखाकार (ले० एवं हक०), झारखण्ड, राँची को प्रेषित किया जाय।**

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

15/05/25

(प्रशांत कुमार)

सचिव,

वित्त विभाग, झारखंड, राँची।

Scanned with OKEN Scanner

ज्ञापांक : 33/वि॰ (महँगाई भत्ता/महँगाई राहत)–54/2017......1092/वि॰ राँची, दिनांक 15/05/2025

प्रतिलिपि : माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय/महानिबंधक, झारखंड उच्च न्यायालय, राँची/ महालेखाकार (ले॰ एवं हक॰), झारखंड, राँची/मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी उपायुक्त/ सभी आरक्षी अधीक्षक/ सभी कोषागार/ उप–कोषागार पदाधिकारी/ पेंशन शाखा, वित्त विभाग/जन सूचना कोषांग, वित्त विभाग/ वित्त (वै॰दा॰नि॰को॰) विभाग, झारखंड, रांची/ सांख्यिक वित्त प्रभाग, वित्त विभाग को संबंधित बैंक को सूचित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/उप महाप्रबंधक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नागपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/सभी राज्यों के महालेखाकार कार्यालय/महानिबंधक, झारखंड उच्च न्यायालय, राँची को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि झारखण्ड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों/कर्मचारियों के प्रसंग में महँगाई राहत की इस स्वीकृति के संबंध में माननीय मुख्य न्यायाधीश, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची की सहमति प्राप्त करने के बाद ही अपने स्तर से आदेश निर्गत किया जाय/सहायक अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, राँची को e-गजट के रूप में राजपत्र असाधारण अंक में प्रकाशन करने तथा पी०एम०यू० कोषांग के श्री कृष्ण मुरारी तिवारी को विभागीय Website पर upload करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/05/25

(प्रशांत कुमार)
सचिव,
वित्त विभाग, झारखंड, राँची।

Scanned with OKEN Scanner